4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां

4.1 प्रस्तावना

वित्तीय मामलों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) 1978, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जीएफआर) से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य स्थायी निर्देश सरकारी निधियों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी खातों से किये गये व्यय हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस अध्याय में बताया गया है।

4.2 भारतीय संविधान के भाग 114(3) का उल्लंघन - सीबीडीटी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबंध करता है कि विधि अनुसार किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि अनुसार किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। डीएफपीआर, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रुप में परिभाषित करता है।

राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में करता है। संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के निरंतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर सीएजी के प्रतिवेदन में भी इस गलत प्रक्रिया पर टिप्पणी की गई है। तथापि, विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 66$^{वीं}$ रिपोर्ट (15$^{वीं}$ लोक सभा 2012-13) में पाया, कि विभाग के पास पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान न बना पाने का कोई वैद्ध आधार नहीं था। विभाग ने स्वीकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग के सहायता लिए बिना अतिरिक्त एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसी पर ब्याज वसूलने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। समिति ने विभाग को याद दिलाया कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से

अधिदेशित करता है कि विधायिका द्वारा किए गए 'विनियोग' के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालन रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में पीएसी ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांगों में कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शा कर संसदीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि संविधान द्वारा विहित है।

पूर्व की भांति, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तथा पीएसी की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹2,598 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले आठ वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹58,537 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5,778
2009-10	6,876
2010-11	10,499
2011-12	6,486
2012-13	6,666
2013-14	6,598
2014-15	5,332
2015-16	7,704
2016-17	2,598
कुल	58,537

विभाग ने बताया (जनवरी 2017) कि वापसी पर ब्याज को राजस्व की कटौती के रूप में मानने की अटॉर्नी जनरल की वर्तमान प्रथा की राय के आधार पर तथा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से, पीएसी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएसी ने एलडी अटॉर्नी जनरल द्वारा दिये गये तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के सलाह पर विचार किया था तथा

अपनी 96वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में दोहराया कि "राजस्व विभाग के पास कर वापसी पर ब्याज भुगतान के लिए पूर्व या कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है"। सरकार को कर वापसी पर ब्याज के व्यय का प्रावधान और रिपोर्टिंग करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्ष बनाना चाहिए। पीएसी ने पाया कि सलाह अंतत: एक सलाह है और यह समिति के लिए है कि तय करे कि सही प्रक्रिया क्या है।

4.3 प्रावधान के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.3.1 वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (एनएस)/सेवा के नए साधन (एनआईएस) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू की जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- "सहायता अनुदान" में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

वर्गीकृत सार/ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान के ₹7.37 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप एनएस/एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 16- उपभोक्ता मामले विभाग								
1.	2852.80.101.04.00.31 भारत में स्वर्ण प्रमाणक/जांच के केन्द्रों की स्थापना	0.90	0.10	0.00	0.00	1.00	1.18	0.18
लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि अनुदान में कुल व्यय उपलब्ध प्रावधान के भीतर ही था। अभ्युक्ति को भविष्य हेतु नोट कर लिया गया था तथा भविष्य में व्यय के ऐसे आधिक्य से बचने के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा।								

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं.20- रक्षा मंत्रालय (विविध)								
2.	3054.02.800.01.00.31 भूटान प्रतिपूरक भत्ता (बीआरओ)	7.00	-	-	-	7.00	7.03	0.03
3.	3054.02.800.02.00.31 सड़क निर्माण कार्य (बीआरओ)	22.84	-	-	-	22.84	22.89	0.05
मंत्रालय ने स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2017) कि अतिरिक्त व्यय पांच प्रतिशत से कम था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस वस्तु शीर्ष के प्रावधान की कोई वृद्धि के लिए संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।								
अनुदान सं. 28- विदेश मंत्रालय								
4.	2061.00.800.11.02.31 अन्तराष्ट्रीय भारतीय कानून समिति	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.02
मंत्रालय ने बाताया (अगस्त 2017) कि ₹1.83 लाख के व्यय को गलती से कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था तथा सीजीए कार्यालय को जर्नल प्रविष्टि के द्वारा गलत वर्गीकरण को सुधारने का अनुरोध किया गया है।								
अनुदान सं. 52- उच्च शिक्षा विभाग								
5.	2203.00.796.40.04.31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अभिक्रम (जनजातीय उप योजना संघटक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि इस योजना की सांकेतिक अनुपूरकता को लेने के पश्चात् निधियों का संवर्धन पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त योजना हेतु सांकेतिक अनुपूरक अनुदान को सामान्य संघटक के अंतर्गत प्राप्त किया गया था न कि जनजातीय उपयोजना संघटक के रूप में।								
अनुदान सं.58- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय								
6.	2851.00.105.15.03.31 खादी ग्राम और कयर उद्योग विकास	8.00	0.90	0.00	0.00	8.90	8.93	0.03
उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)								
अनुदान सं. 83- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
7.	2235.02.101.01.09.31 (योजेनेतर) राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंदित तथा अस्थि दिव्यांग योजना संस्थान के विस्तारण तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय संस्थानों का निधियन करना।	4.35	0.00	1.67	0.00	6.02	6.19	0.17
8.	2235.02.101.10.16.31 (योजनागत) अन्य योजनाएं- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना	30.32	4.50	0.00	0.00	34.82	34.91	0.09

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)								
अनुदान सं. 85- सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय								
9.	3454.02.204.19.05.31 सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता-क्षमता विकास (सीएसओ तथा सांस्थानिक विकास एवं क्षमता निर्माण को क्षमता विकास)	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	31.74	6.74
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उक्त लेखा शीर्ष को ₹ लाख का सांकेतिक अनुपूरक प्राप्त करके संवर्धित किया गया था। तदन्तर प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹25.00 करोड़ '3454.02.204.19.05.31' को पुनर्विनियोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार उसी योजना के मुख्य शीर्ष 2552 तथा उपयोजना आर्थिक जनगणना से ₹6.74 करोड़ भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पुनर्विनियोजित किए गए थे। इस प्रकार, उक्त लेखा शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध कुल राशि ₹31.74 करोड़ थी। मंत्रालय ने उसी उत्तर को अक्तूबर 2017 में दोहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अकार्यात्मक मुख्य शीर्ष 2552 से कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोजन उसी योजना में ही किया जाना चाहिए। इस मामले में, सांख्यिकी-क्षमता विकास योजना (एनएसएसओ का क्षमता विकास - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय एनएसएस नमूना कार्य करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान) - सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता के अंतर्गत ₹5.00 करोड़ के प्रावधान को भिन्न योजना अर्थात् क्षमता विकास (सीएसओ के क्षमता विकास तथा सांस्थानिक विकास व क्षमता निर्माण) - सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता में पुनर्विनियोजित किया गया था।							
	कुल							**7.37**

** बीई= बजट अनुदान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए= कुल प्राधिकरण, टीई= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.3.2 वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने अपने ओएम दिनांक 12 फरवरी 2010 के द्वारा विनियोग की प्राथमिक ईकाई के स्तर पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2009-10 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' लाया गया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के अपने ओएम द्वारा स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

संवीक्षा से पता चला कि कुल ₹ 6.01 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एनएस/एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.3: वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं.12- औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग								
1.	2852.80.800.26.00.35 स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता	38.07	31.98	50.00	0.00	120.05	120.07	0.02
विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि उत्तर पूर्व के लिए ₹ 32.00 करोड़ का प्रावधान था न कि ₹ 31.98 करोड़ का (सहायता अनुदान सामान्य ₹ 0.01 करोड़, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹ 31.98 करोड़ सहायता अनुदान-वेतन ₹0.01 करोड़) अत: कोई आधिक्य नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अभ्युक्ति वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जिसके लिए 2552.00.147.08.35 के अंतर्गत ₹31.98 करोड़ का बजट प्रावधान था, के अंतर्गत संवर्धन से सबंधित है।							
अनुदान सं. 42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग								
2.	2011.00.800.20.00.35 एनआरएचएम को संयोजनों का अग्रेषण	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	27.54	2.54
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि ₹27.54 करोड़ की राशि को मुख्य शीर्ष-2552 से कार्यात्मक लेखा शीर्ष-2211.00.800.20.00.35 को पुनर्विनियोग किया गया था। 12 जून 2001 के व्यय विभाग के आदेश के अनुसार शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार एनईआर के लिए योजना/कार्यक्रम के लाभ के लिए अनुदान के अंतर्गत संपूर्ण रूप में एकमुश्त प्रावधान से बचत की पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹2.54 करोड़ की अतिरिक्त राशि को पूरा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'वस्तु शीर्ष-35' के प्रावधान में वृद्धि एनएस/एनआईएस की सीमा की मांग करती है तथा इसलिए वित्त मंत्रालय के मई 2006 में जारी ओएम के अनुसार संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।							
अनुदान सं. 52-उच्च शिक्षा विभाग								
3.	2203.00.796.08.03.35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हैदराबाद संस्थान (ईएपी) (जनजातीय उप योजना संघटक)	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	1.50	0.75
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि इस योजना का सांकेतिक अनुपूरक लेने के पश्चात निधियों का संवर्धन, पुनर्विनियोग के द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित योजना के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सामान्य सघटक के अंतर्गत प्राप्त किया गया था न कि जनजातीय उपयोजना संघटक के।								

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 83- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
4.	2235.02.101.01.09.35 (योजना) राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बाधिर, मानसिक रूप से मंदित तथा अस्थि दिव्यांग योजना संस्थान के विस्तारण तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन करना	11.00	0.00	0.00		11.00	12.62	1.62
5.	2235.02.796.03.04.35 (योजना) समाज कल्याण-दिव्यांगो का कल्याण राष्ट्रीय अक्षम संस्थान	4.52	0.00	0.00		4.52	5.60	1.08
उत्तर प्रतिक्षित था (अक्तूबर 2017)।								
	कुल							**6.01**

* बीई= बजट अनुदान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए = कुल प्राधिकरण, टीई= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.3 वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने ओएम के माध्यम से वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' आरंभ किया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के ओएम द्वारा स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष के अतंर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगो के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान लेनदेन विवरणी/ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित अनुदान सं. 83 में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत संसद का अनुमोदन प्राप्त किए बिना मौजूदा आदेश का उल्लंघन करके प्रावधान का संवर्धन करके कुल ₹ 2.48 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था

तालिका 4.4: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से अधिक
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 83- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
1.	2235.02.796.03.04.35 (योजना) राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंदित, अस्थि दिव्यांग योजना संस्थानों के विस्तारण तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन करना	29.92	0.00	0.00	0.00	29.92	32.40	2.48
उत्तर प्रतिक्षित था (अक्तूबर 2017)।								
	कुल							**2.48**

* बीई= बजट अनुदान एनई = एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान एसए = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए = कुल प्राधिकरण, टीई = कुल व्यय

4.3.4 वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, पहले से संसद द्वारा दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है। मंत्रालय ने 21 मई 2012 को स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अतंर्गत निधियों के सवंर्धन (या तो निधियों के पुनर्विनियोग अथवा अतिरिक्तता के माध्यम से) हेतु सभी मामलों को बिना किसी छूट के अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगो के माध्यम से ससंद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि संसद की पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹3230.60 करोड़ के चार अनुदानों की निधियॉ व्यय की गई थीं, जैसा नीचे **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.5: वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 7- उर्वरक विभाग								
1.	2852.03.101.06.03.33	11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	11256.59	256.59
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि आधिक्य का कारण प्रस्तावों की अप्रत्याशित प्राप्ति तथा देयता का बड़ा भार था। मंत्रालय ने आगे बताया (सितम्बर 2017) कि आयातित यूरिया की बिक्री के कारण ₹4,100.00 की वसूली मुख्य शीर्ष-2401 के तहत गलती से जोड़ा गया था। आयातित यूरिया सब्सिडी के संबंध में डीडीजी 2016-17 में बजटीय आबंटन ₹4,100.00 करोड़ की वसूली सहित ₹15,100.00 करोड़ था। तथापि, डीजी के साथ डीडीजी के आंकड़ों से मेल खाने के लिए, आयातित यूरिया सब्सिडी के संबंध में आबंटन को ₹15,100.00 करोड़ से बदलकर ₹11,000.00 करोड़ किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडीजी के अनुसार मूल बजट प्रावधान का आंकड़ा ₹15,100.00 करोड़ था जिसके लिए 31 मार्च 2017 के शद्धिपत्र में मंत्रालय ने बजट प्रावधान को ₹11,000.00 करोड़ बताते हुए जारी किया था तथा वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के तहत किसी भी वृद्धि की आवश्यकता हेतु संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।							
अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (डीआईपीपी)								
2.	2885.02.101.15.03.33 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	0.01	0.00	0.00	0.00#	0.01	41.05	41.04
3.	2885.02.101.15.04.33 'व्यापक बीमा योजना'	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	6.55	6.54
4.	2885.02.101.15.08.33 'पूंजी निवेश सब्सिडी'	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	122.41	122.40
5.	2885.02.101.15.02.33 भाड़ा आर्थिक सहायता	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	18.84	18.83
# 2552.00.238.09 पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों के औधोगिक विकास के अंतर्गत ₹234.97 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, गैर कार्यात्मक शीर्ष और उसके तदनुरूप कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजनावार ब्यौरा नहीं दिया गया था जो बजट प्रभाग के दिनांक 14 सितम्बर 2005 के ओएम सं. एफ-2 (66)- बी. (सीडीएन) 2001 की शर्तों के अनुसार अपेक्षित है। विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि डीडीजी 2016-17 ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि उसमें सब्सिडी के चार संघटको में प्रत्येक के लिए 1 लाख के चार सांकेतिक प्रावधान तथा ₹ 188.81 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान थे जो एनईआईपीपी सब्सिडी के चार संघटको के बीच बांटा जाना प्रत्याशित था। वास्तविक डीडीजी में एनईआईपीपी सब्सिडी प्रावधान का ब्यौरा नही दर्शाया गया था लेकिन यह एनई क्षेत्र के लाभ हेतु एकमुश्त प्रावधान की बजटीय योजना का सार है। यदि विभाग बजट स्तर पर ही सभी विवरण जानता होता तो एकमुश्त प्रावधान की आवश्यकता ही न होती। यह विभाग को, औधोगिक इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, जो योजना के अंतर्गत दर्ज, सत्यापित तथा योग्य पाए गए दावों पर निर्भर है, के संवितरण हेतु नम्यता प्रदान करने के लिए एक लाभकारी बजट प्रक्रिया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र 2016-17 के पैरा 3.2.3 के अनुरूप नहीं है। जिसमें यह अनुबद्ध है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु परियोजनाओं/योजना के प्रति बजट प्रावधान अब से व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों में संभावित पुनर्विनियोजन हेतु मुख्य शीर्ष 2552-उत्तरपूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत एक मुश्त के रूप में दिया गया है। तथापि, इस प्रकार के एकमुश्त प्रावधान को संभावित पुनर्विनियोग हेतु मुख्य शीर्ष 2552-उत्तरपूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए तथा अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में ब्यौरे दर्शाते हुए वस्तु शीर्ष स्तर तक तथा इसके सदृश विभिन्न कार्यात्मक मुख्य/उपमुख्य/लघु शीर्षों तक विघटित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्तमान मामले में एक मुश्त प्रावधान को संभावित पुनर्विनियोग हेतु अनुदानों की विस्तृत मांगो में ब्यौरे दर्शाते हुए वस्तु शीर्ष स्तर तक तथा इसके सदृश विभिन्न कार्यात्मक मुख्य/उपमुख्य/लघु शीर्षों तक विघटित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त विधि को 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान अपनाया गया था।							
अनुदान सं.14-दूरसंचार विभाग								
6.	3275.00.103.01.01.33 सेवा संभरक-भारत नेट को क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	2830.06	0.00	2830.06	5600.00	2769.94
7.	3275.00.103.01.02.33 सेवा संभरक-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	1620.68	0.00	1620.68	1625.94	5.26

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि अनुदानों के अनुपूरक मांगों के पहले, दूसरे और तीसरे बैच में संसद द्वारा क्रमशः ₹1,000 करोड़, ₹1,000 करोड़ और ₹552.14 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। इसके अलावा, ₹2,460.86 करोड़ 3275.00.103.01.01.33-भारत में पुनर्विनियोजित थे। जैसा कि अनुपूरक अनुदान संसद द्वारा पारित किया गया था, वहीं नए विस्तृत शीर्ष 3275.00.103.01.01-भारत-नेट के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय के दिनांक 21 मई 2012 के ओएम के अनुसार बचत से पुनर्विनियोग करने से पहले वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के तहत प्रावधान में किसी भी वृद्धि को संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है							
अनुदान सं. 66- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय								
8.	2802.80.102.12.00.33 एनई क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी	7094.21	0.00	1676.49	0.00	8770.70	8780.70	10.00
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि पुनर्विनियोजन आदेश के जरिए ₹10.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई क्योंकि वहां एक अन्य शीर्ष में उपयोगिता बचत थी। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्टूबर 2017) कि संसद के पूर्व अनुमोदन के लिए इस प्रावधान को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।								
	जोड़							**3230.60**

* बीई= बजट अनुदान एनई = एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए = कुल प्राधिकरण, टीई = कुल व्यय

4.3.5 वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने 'नयी सेवा/सेवा के नए साधन (एनएस/एनआईएस) से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश' से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (दिनांक 21 मई 2012) कि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में ₹2.50 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि पुलिस से संबंधित अनुदान सं. 48 कुल ₹9.31 करोड़ की निधियों का वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका ब्यौरा नीचे **तालिका 4.6** दिया गया है

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतेर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 48- पुलिस								
1.	4055.00.216.01.02.53 राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड-कार्यालय भवन	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	68.31	9.31

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतेर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि वस्तु शीर्ष कार्यालय भवन के अंतर्गत ₹ 224.87 करोड़ के अतिरिक्त व्यय हेतु संसद का पूर्वानुमोदन अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग के द्वितीय बैच में प्राप्त किया गया था जिसमें (राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड) एनएटीजीआरआईडी की अतिरिक्त आवश्यकता भी शामिल है। उस समय सचिव (व्यय) के अनुमोदन पुर्नविर्नियोग आदेश जारी किए गए थे। तथापि जब लेखा शीर्षों के बीच अनुपूरक का वितरण किया गया था तो एनएटीजीआरआईडी की प्रविष्टि भूलवश रह गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं क्योंकि वस्तु शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य ने एनएस एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन किया तथा व्यय की प्रत्येक मद की पृथक बजट लाइन होती है। इस प्रकार, प्रत्येक व्यय की मद के लिए संसद से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।							
	कुल							9.31

* बीई= बजट अनुदान एनई = एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए =कुल प्राधिकरण, टीई =कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4 पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों में राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न दर्शाया जायेगा। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

4.4.1 पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 परिसंपित्तयों तथा अन्य पूँजीगत व्यय, जिनमें वस्तु शीर्षों अर्थात 51 से 56 तथा 60 को समाहित किया गया है, के अधिग्रहण हेतु वस्तु वर्ग छः में वर्गीकरण करता है। ये वस्तु शीर्ष[1] पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के होने चाहिए।

वर्ष 2016-17 हेतु ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उन मामलों का पता चला जहाँ इन वस्तु शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जिसे नीचे **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को ₹27.87 करोड़ से अधिक एवं पूंजीगत व्यय को इतना ही कम बताया गया।

[1] ब्यौरो तथा वस्तु शीर्षों के विवरण के लिए **अनुबंध 4.1** देखें।

तालिका 4.7: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष (राजस्व)	वस्तु शीर्ष (पूंजीगत)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	14.04	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
2.		3401	51/52	11.94	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
3.	14-दुरसंचार विभाग	3275	51	0.08	विभाग ने स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2017) कि सभी शीर्षों को पूंजीगत से राजस्व में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है और इसके विपरीत पूंजीगत भाग वस्तु शीर्ष-51 मोटर वाहन को छोड़कर डीडीजी-2017-18 में उपलब्ध हैं, जिसके लिए नए वस्तु शीर्ष खोलने के लिए वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग के साथ मामला उठाया जा रहा था।
4.	58-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851	51/52	1.75	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि प्रशासनिक प्रभाग को वित्त वर्ष 2017-18 से राजस्व भाग की बजाय पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत व्यय को दर्ज करने के लिए तदनुरूपी शीर्षों को खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
5.	85-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454	52	0.06	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि सबंधित प्रभागों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए गए थे तथा अनुपूरक मांग तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से डीडीजी 2017-18 में सही बजट प्रावधान प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
			कुल	**27.87**	

व्यय आंकड़े स्रोत: समेकित सार

4.4.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डीएफपीआर) का नियम 8, मोटे तौर पर वस्तु वर्ग छः के अतिरिक्त आने वाले वस्तु शीर्षों को राजस्व प्रकृति के व्यय के तौर पर वर्गीकृत करता है। तदनुसार, इन वस्तु शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2016-17 के समेकित सार ई-लेखा आंकड़ो सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों में राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। इन गलत वर्गीकरणों के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को ₹152.54 करोड़ तक कम एवं पूंजीगत व्यय को इतना ही अधिक बताया गया है जैसा कि नीचे **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान विवरण	मुख्य शीर्ष (पूंजीगत)	वस्तु शीर्ष (राजस्व)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	4-परमाणु उर्जा विभाग	4861	27	51.18	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)
2.		5401	27	1.79	
3.	14-दूरसंचार विभाग	5275	11/13/28	2.43	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)। विभाग ने स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2017) कि शेष शीर्ष में आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं उतनी निधियां उपलब्ध है और अन्य तकनीकी अनुपूरक अनुदान 2017-18 के दूसरे बैच में प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, संबंधित इकाईयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी वस्तु शीर्ष के तहत किसी भी अन्य व्यय पर व्यय न करें। आवश्यक सुधार डीडीजी-2018-19 में किए जाऐंगे।
4.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	4076	50/43	20.98	सीजीडीए कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि यौक्तिकीकरण से पूर्व व्यय को पूँजीगत भाग में दर्ज किया गया था तथा यौक्तिकीकरण के परिणामस्वरूप उसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' तथा '43-उचन्त' में दर्ज किया जा रहा था। मंत्रालय ने भी अनियमितताओ को स्वीकार किया जो अनुदान के यौक्तिकीकरण के कारण थी। उसने यह भी दावा किया कि विलयन के कारण 15 अंकीय कोड़ के सृजन हेतु डीजीए (डीएस) कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बजट प्रावधान को अनुदान के यौक्तिकीकरण के पश्चात् राजस्व भाग में प्राप्त करना अपेक्षित था।

क्र.सं.	अनुदान विवरण	मुख्य शीर्ष (पूंजीगत)	वस्तु शीर्ष (राजस्व)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
5.	74-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5054	11/13/20	10.01	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि (i) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एनईआर में कई परियोजना कार्यान्वयन यूनिट खोले गए हैं। इस उद्देश्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ, आवास, कार्यालयी फर्नीचर तथा अन्य कार्यालयी उपकरण की आवश्यकता थी तथा मंत्रालय के सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से तदनुरूप व्यय करना संभव नहीं था। (ii) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने को सरल बनाने के लिए ताकि अर्थात् इस उद्देश्य हेतु 0.2 प्रतिशत रोका हुआ था, के कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। आकस्मिकता का 3 प्रतिशत भाग। (iii) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय/प्रभाग/क्षे.का. हेतु आईटी से संबंधित हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के अधिप्रापण पर व्यय करने के लिए मुख्य शीर्ष 5054 के अंतर्गत कार्यालयी खर्चे- 5054.01.337.04.99.13- उपशीर्ष 01.99.50- सूचना प्रौद्योगिकी खोला गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबद्ध है कि वर्ग 6 के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्ष पूँजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूँजीगत व्यय के लिए होगा जबकि वस्तु शीर्ष 11-डीटीए, 13-ओई तथा 20-अन्य प्रशासनिक खर्चे वस्तु वर्ग 2 के अंतर्गत आते है अर्थात् प्रशासनिक खर्चो को राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपयोग किया जाना चाहिए।
6.	80- पोतपरिवहन मंत्रालय	5051	50	0.75	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण को सुधारने के लिए तथा एक नया बजट शीर्ष खोलने के लिए कार्रवाई की गई थी।
		5052	13	5.40	
7.	89-जनजातीय मंत्रालय	4225	35	60.00	अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि 2017-18 के चालू वित्त वर्ष के दौरान आवश्यक सुधार कर लिए गए थे तथा वस्तु शीर्ष '54-निवेश' के अंतर्गत ₹60.00 करोड़ के पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया था।
	जोड़			**152.54**	

4.4.3 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 79 में यह अनुबंध करता है कि रख-रखाव, मरम्मत, अनुरक्षण तथा कार्यशील खर्चों पर प्रभार, जो परिचालन क्रम में परिसम्पत्तियों को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित है तथा संगठन के दिन-प्रतिदिन हेतु स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय सहित किए गए सभी अन्य खर्चों को भी राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखाओं एवं ई-लेखा डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उन कई मामलों में पता चला जिसमें राजस्व प्रकृति का

व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम राजस्व व्यय अधिक/कम बताने में हुआ जिसे **तालिका 4.9** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: अनुदान के विभिन्न भागों में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	11- वाणिज्य मंत्रालय	38.77	निर्यात अवसंरचना तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) योजना के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड, प्राधिकरणों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए ₹38.77 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा शीर्ष 5453.80.800.12.01.01.53-मुख्य निर्माण कार्य में दर्ज किया गया था। सही वस्तु शीर्ष अनुदान के राजस्व भाग में 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान होना चाहिए।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि एएसआईडीई योजना को दिनांक 01 अप्रैल 2017 से बंद कर दिया गया । भूर्तपूर्व एएसआईडीई योजना 2002-03 से 2016-17 तक कार्यान्वित की जा रही थी तथा एएसआईडीई हेतु निधियां पूँजीगत मुख्य शीर्ष 5453 के अंतर्गत आबंटित की गई तथा इसके अनुसार उपयोग की गई थी। विभाग के उत्तर को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि अभियुक्ति वार्षिक विनियोग लेखे पर आधारित है न कि योजना पर।
2.	18-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	3.74	किराए पर लिए गए स्थान की मरम्मत के प्रति किए गए ₹3.74 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूँजीगत भाग में लेखाशीर्ष '5475.00.800.09.00.53' (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूँकि किए गए कार्यों की मदे स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों के सृजन का परिणाम नहीं थे, इसलिए इसको अनुदान के राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा अभियुक्ति नोट कर ली गई है तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।
3.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	2031.71	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा कवर तथा विमान उत्थापन प्रभारों के अतिरिक्त सड़क अनुरक्षण के प्रति किये गए ₹2031.71 करोड़ के व्यय को पूंजीगत भाग में (5054.02.337.03.00.53) वस्तु शीर्ष 53- मुख्य निर्माणकार्य के अंतर्गत गलत रूप से दर्शाया गया था। राजस्व प्रकृति की व्यय मदों को अनुदान के राजस्व भाग में उपयुक्त वस्तु शीर्ष (शीर्षों) के अंतर्गत रूप से दर्शाया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)
4.	84-अंतरिक्ष विभाग	0.19	बैक कुर्सी, टेबल, सोफा, कम्प्यूटर टेबल के अधिप्रापण हेतु किए गए ₹19.42 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसटीआरएसी द्वारा वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चों' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण अंतर्गत दर्शाया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
5.	84-अंतरिक्ष विभाग	0.11	एस-बैंड डॉप्पलर वैदर राडार (डीडब्ल्यूआर) हेतु स्पैक्ट्रम प्रभारों के प्रति किए गए ₹11.26 लाख के व्यय को पीएओ.आईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग के वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्शाया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
6.		0.28	संचार लिंक प्रभारों के प्रति किया गया ₹28.47 लाख के व्यय को पीएओ आईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' के अंतर्गत इसको सही रूप से दर्ज करने की बजाय पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
7.		0.78	प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन के अधिप्रापण हेतु किए गए ₹78.22 लाख के व्यय को पीएओआईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' के अंतर्गत इसको सही रूप से दर्ज करने की बजाय इसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
8.		0.35	सिजियम बीम फ्रीक्वेंसी स्टैडर्ड इलैक्ट्रॉनिक्स हेतु वारंटी विस्तारण के प्रति किए गए ₹35.33 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसटीआरएसी द्वारा इसको राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माणकार्य' में दर्ज करने की बजाय गलत रूप से पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	
9.		0.11	डेस्कटॉप कम्प्यूटरों के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹10.88 लाख के व्यय को पीएओएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग के वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' में दर्ज करने की बजाय इसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण के अंतर्गत गलत रूप से दर्शाया गया है	
10.		0.32	सीसीटीवी स्टोरेज की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के प्रति किए गए ₹32.04 लाख के व्यय को पीएओआईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय इसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' में गलत रूप से दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
11.	84-अंतरिक्ष विभाग	0.22	एनएक्स/आइडिया/टीसी/वियू/सॉलिड ऐज सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान के प्रति किए गए ₹21.60 लाख के व्यय को पीएओआइएसएसी (केन्द्र) द्वारा पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया जिसे राजस्व अनुभाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत सही रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
12.		0.13	इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स के वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति किए गए ₹13.23 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया है जिसे सही रूप से राजस्व भाग के '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	
13		0.15	उपकरण की छः माह की अवधि के लिए कॉर्टेक्स-सीआरटी एक्सएल वारंटी भुगतान के प्रति किए गए ₹14.58 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसएसी (परियोजना) द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' में सही रूप से दर्ज करने की बजाय पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
राजस्व व्यय ₹ 2076.86 करोड़ तक कम बताया गया।				
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण				
1.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	17.71	केन्द्रीय रूप से समायोजित एपीएस मदों से संबंधित ₹17.71 करोड़ के व्यय को बीआरओ द्वारा अनुदान के पूंजीगत भाग में उपयुक्त शीर्ष में दर्ज करने की बजाय गलत रूप से उसको राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '01-वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	सीजीडीए कार्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उपयुक्त वर्गीकरण वि.व.2017-18 सि किया जाएगा।
2.	56- विधि और न्याय मंत्रालय	425.35	ईवीएम की खरीद के प्रति किए गए ₹425.35 करोड़ की राशि को अनुदान के पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय उसको अनुदान के राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 20 अक्तूबर 2016 को हुई बजट-पूर्व बैठक के दौरान 2017-18 तथा आगे के वर्षों के लिए पूँजीगत भाग के अंतर्गत कथित राशि दर्ज करने के लिए निर्णय लिया था।

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
3.	61-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0.68	मंत्रालय ने 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सीपीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय को ₹67.87 लाख की राशि प्राधिकृत की थी तथा उस राशि को अनुदान के पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि पीएफएमएस में तकनीकी समस्या के कारण पूँजीगत शीर्ष में ₹67.87 लाख की राशि को समायोजित दर्ज नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने लेखाओं में त्रुटि के सुधार हेतु कोई जर्नल/अंतरण प्रविष्टि प्रस्तावित नहीं की है।
4.	84-अंतरिक्ष विभाग	272.10	मिशन उपभोज्य के प्रति किए गए ₹272.10 करोड़ के व्यय को वर्तमान आदेशों के अनुसार पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां और सामग्रियां' (मुख्य शीर्ष-3402) के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
5.		5.00	मिशन उपभोज्य के प्रति किए गए ₹5.00 करोड़ के व्यय को वर्तमान आदेशों के अनुसार पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '50 अन्य प्रभार' (मुख्य शीर्ष-3402) के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
6.		0.47	एअर बूस्टिंग सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹47.15 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (केन्द्र) द्वारा पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' की बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां और सामग्रीयों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
7.	87-कपड़ा मंत्रालय	3.00	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, जो कपड़ा मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, के अधीन कार्यरत विपणन और सेवा विस्तारण केन्द्र तथा करघा संग्रहालय जयपुर हेतु कार्यालयी भवन के निर्माण हेतु किए गए ₹3.00 करोड़ के व्यय को पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माणकार्य' की बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों' के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
राजस्व व्यय ₹724.31 करोड़ तक अधिक बताया गया।				

गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव राजस्व व्यय को ₹2,229.40 करोड़ राजस्व व्यय को ₹752.18 करोड़ अधिक बताया गया। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1,477.22 करोड़ से राजस्व व्यय को कम बताने में हुआ। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹1,477.22 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे को कम बताया गया।

4.5 गलत वर्गीकरण के अन्य मामलें

4.5.1 वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान वेतन' का संचालन न होना

वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जून 2011 के ओएम द्वारा एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' 01 अप्रैल 2011 से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के नीचे वस्तु श्रेणी-4 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 96 के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' का संचालन नहीं किया गया था। मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) तथा राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान (एनआईएच) को क्रमश: ₹64.18 करोड़ तथा ₹31.56 करोड़ के अनुदान जारी किए थे। चूंकि ₹54.51 करोड़ तथा ₹22.20 करोड़ की राशियों का उपयोग क्रमशः एनडब्ल्यूडीए तथा एनआईएच के वेतन के उद्देश्य हेतु किया गया था इसलिए मंत्रालय को अनुदान को वस्तु शीर्ष '31' तथा '36' के अंतर्गत पृथक करना चाहिए था जैसा वर्तमान नियमावली में अपेक्षित है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई/अगस्त 2017) कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

4.5.2 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। वस्तु शीर्षों की सूची तथा इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण **अनुबंध- 4.1** में दिए गए है।

संवीक्षा से पता चला कि कुल ₹549.49 करोड़ की निधियों के विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात् वस्तु शीर्षों के मध्य गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जैसा विवरण **तालिका 4.10** मे दिया गया है।

तालिका 4.10: अनुदान के एक ही भाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
1.	6-रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	0.34	2852/31	प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु योजना के परिचालनात्मक दिशा निर्देशों हेतु मैसर्स ग्रांट थोरन्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क के भुगतान के प्रति ₹0.34 करोड़ राशि (₹0.22 करोड़+₹0.12 करोड़) के व्यय को वस्तु शीर्ष 28-व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने लेखापरिक्षा अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु नोट किया (अगस्त 2017)।
2.	15-इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1.10	2852/31	आई टी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) को 2852.07.202.85.16.31- (सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक्स/सीसीबीटी-सहायता अनुदान-सामान्य में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम-आरएंडडी) के अंतर्गत ₹110.30 करोड़ के कुल बजट आबंटन में से ₹1.10 करोड़ की राशि आईटीआरए द्वारा उसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु उपयोग की गई थी। वेतन के भुगतान हेतु उपयोग किए गए अनुदानों को मंत्रालय द्वारा वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया कि सहायता अनुदान-वेतन केवल उन संगठनों/संस्थानों के लिए निर्दिष्ट है जो आवर्ती अनुदान प्राप्त करते है। जहां तक गैर आवर्ती अनुदान का संबंध है, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान या तो सहायता अनुदान सामान्य या पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जारी किए जाते है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन विशेष रूप से वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान के वर्गीकरण हेतु बनाया गया है और वेतन के प्रति किया गया कोई भुगतान वस्तु शीर्ष-36 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
3.	15- इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	0.53	3451/13	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (एनआईसी) बंगालौर हेतु बिजली प्रभारों के भुगतान हेतु ₹53.05 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। इसमें एनआईसी डेटा केन्द्र/नेशनल नोलेज नेटवर्क (एनकेएन) तथा नेटवर्क केन्द्र के विघुत प्रभार भी शामिल थे। व्यय को वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चों' (3451.00.091.13.01.13) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। एनकेएन मंत्रालय की एक पृथक योजना है तथा यह मंत्रालय द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के माध्यम से राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र सेवा समावेशन (एनआईसीएसआई)/एनआईसी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार वस्तु शीर्ष-13 कार्यालयी खर्चों के अंतर्गत एनआईसी द्वारा विघुत प्रभारों के लिए व्यय दर्ज करना सही नहीं था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
4.		0.42	2852/13,50 3451/50	मंत्रालय द्वारा ली गई विधि सेवाओं के भुगतान के प्रति किए गए ₹0.42 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत दर्शाने की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' में दर्ज किया गया है।	मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। तथापि यह विचारणीय है कि कुछ मामलों में जब कोई उपयुक्त शीर्ष खोलने संभव होते और न ही निधि के भुगतान/जारी करने मे विलम्ब होता है। अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के वस्तु शीर्षों या अन्य प्रभारों से निधियां विशेष रूप से उपयोग की जाती हैं।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
5.		0.01	2852/50	एक निजी कम्पनी को ₹1.15 लाख की राशि दी गई थी तथा उसको राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष 50-अन्य प्रभारों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। आवेदकों को दी गई वित्तीय सहायता अंतराष्ट्रीय एकस्व प्राप्त करने के लिए एक प्रतिपूर्ति था तथा एकस्व एक अप्रत्यक्ष पूंजीगत परिसम्पत्ति है। इस प्रकार, इस व्यय को वस्तु शीर्ष-'35 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया कि अंतराष्ट्रीय एकस्व प्राप्त करने के बदले निजी कम्पनी को भुगतान किए गए थे। यह एक प्रकार का शुल्क है जो प्रतिपूर्ति किया गया है और इसलिए इस उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान जारी नहीं किए जा सकते। तथापि, लेखा परीक्षा की इस अभ्युक्ति पर भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।
6.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	7.99	3475/52	विभाग ने राज्यों/सं.शा.क्षे. के लिए केन्द्रीय रूप से मशीनरी व उपकरण की खरीद की थी ₹7.99 करोड़ राशि के व्यय को वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' के अंतर्गत इसको दर्ज करने की बजाय अनुदान के राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि 2007-08 से पूर्व विभाग द्वारा राज्यों/यूटी को वजन एवं मापक अवसरंचना को मजबूत करने के लिए राजस्व मुख्य शीर्ष 2552 तथा 3602 के अंतर्गत सहायता अनुदान जारी किए गए ताकि राज्य/यूटी अपने लिए मशीनरी व उपकरण अधिप्राप्त कर सकें। लेकिन बाद में विभाग ने योजना को केन्द्रीकृत करने तथा सीधे राज्य/यूटी को मशीनरी एवं उपकरण की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। तदनुसार निधियां पूंजीगत पक्ष में शीर्ष 4352 तथा 5475 में मशीनरी व उपकरण के अंतर्गत दिया जाना अपेक्षित था। चूँकि अधिप्राप्त की गई मशीनरी राज्यों तथा सं.शा.क्षे सरकारों की सम्पत्ति होगी, इसलिए व्यय केन्द्र की बही में राजस्व व्यय के रूप में तथा पूँजीगत व्यय राज्य/यूटी की बहियों में होगी। इस प्रकार, विभाग ने पूँजीगत शीर्ष की बजाय राजस्व शीर्ष 3475 के अंतर्गत मशीनरी व उपकरण हेतु प्रावधान किया था। तथापि, उपयुक्त बजटीय संशोधनों हेतु कदम उठाए जा रहे थे।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
7.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	266.11	5054/53 (कोड शीर्ष-069/04)	श्रेणी 'ए' भण्डार/उपकरण पर ₹266.11 करोड़ का व्यय किया गया जिसकों शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था लेकिन बीआरओ द्वारा अनुदान के पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	सीजीडीए कार्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि वस्तु शीर्ष 53-मुख्य निर्माणकार्य डीजीए (डीएस) कार्यालय के अनुमोदन से खोला गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के लिए अनुमोदन इस विशिष्ट शर्त के साथ किया गया था कि श्रेणी 'ए' भण्डार व उपकरण को वस्तु शीर्ष '53' के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
8.		9.33	2076/21 (कोड शीर्ष 366/00)	₹9.33 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '13- कार्यालयी खर्चे' की बजाय वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां तथा सामग्री' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कार्यालय सीजीडीए ने बताया (अगस्त 2017) कि विसंगतियों को सुधार लिया जाएगा तथा डीडीजी 2017-18 में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय खर्चे' का उपयोग किया जाएगा।
9.	44 -भारी उद्योग विभाग	1.07	2852/31	सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु भारतीय पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विज्ञान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन (सीईटीयू) प्रतिष्ठान को ₹1.07 करोड़ जारी किए गए थे। व्यय को लेखे में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत इसको दर्ज करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' में दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि इसईटीयू प्रतिष्ठान को ₹1.07 करोड़ की निधि ₹27.81 करोड़ की कुल परियोजना लागत की पहली किश्त के रूप में जारी गई थी तथा अधिकांश व्यय सामान्य प्रकार उद्देश्य का था। उसने आगे बताया कि 2017-18 के वित्त वर्ष में योजना के अंतर्गत निधियां पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान शीर्ष के अंतर्गत रखी गई है। तथापि, 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष के अंदर गलत वर्गीकरण थी।
10.		7.18	2852/31	नॉन फेरस सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र को जारी ₹7.18 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत उपकरण हेतु उपयोग किया गया था तथा लेखे में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही वर्गीकरण करने के बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
11.	44 -भारी उद्योग विभाग	21.10	2852/31	एफएएमई इंडिया योजना के अंतर्गत 25 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु हिमाचल सड़क परिवहन निगम को जारी ₹21.10 करोड़ के सहायता अनुदान को लेखाओं में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत इसका सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।
12.	57- भारतीय उच्चतम न्यायालय	0.94	2014/33	कैन्टीन स्टाफ के वेतन से संबंधित ₹94.41 लाख राशि के व्यय को प्रावधान किया गया था तथा वस्तु शीर्ष '01-वेतन' में उसको दर्ज करने की बजाय वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	उसने बताया (सितम्बर 2017) कि सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री का बजट दो शीर्षों (i) वेतन (ii) गैर वेतन में बंटा हुआ है। गैरवेतन आगे आठ उपशीर्षों में बंटा हुआ है जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय विभागीय कैन्टीन एक है। वर्ष 2003-04 तक इसे सब्सिडी के रूप में दर्शाया गया था तथा वित्त वर्ष 2004-05 से व्यय (विभागीय कैन्टीन के कर्मचारियों से संबधित) को सर्वोच्च न्यायालय कैन्टीन/विभागीय कैन्टीन के अंतर्गत दर्ज किया था। यह रजिस्ट्री सर्वोच्च न्यायालय विभागीय कैन्टीन के लिए आज की तिथि तक गैर-वेतन शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुदान प्राप्त कर रही है। अत: राशि इसके अनुसार दर्ज की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैन्टीन स्टाफ के वेतन का प्रावधान तथा उसको दर्ज करना डीएफपीआरएस के अनुसार वस्तु शीर्ष 01-वेतन के अंतर्गत करना चाहिए।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
13.	58 - सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	39.04	2851/31	बैंको द्वारा खादी संस्थानों द्वारा अदा किए गए ब्याज से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) की योजना के अंतर्गत खादी और ग्राम उघोग आयोग (केवीआईसी) को जारी ₹39.04 करोड़ के सहायता अनुदान को लेखे में वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि 33-सब्सिडी वस्तु शीर्ष के अंतर्गत पृथक बजट शीर्ष खोलने के प्रस्ताव को 2017-18 के अनुदान हेतु अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में प्रस्तुत किया जाएगा तथा वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत आईएसईसी के अंतर्गत जारी निधियों को वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' में अंतरित किया जाएगा।
14.		3.00	2851/31	राष्ट्रीय लघु उघोग निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए मशीनी उपकरण के अधिप्रापण हेतु उसको जारी ₹3.00 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान में सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय को देखते हुए व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसके अनुसार, चूँकि प्रशिक्षण आदि हेतु उपकरण सहित अवसरंचना परियोजनाओं का लक्ष्य सुविधाएं सृजित करना है जिसका लाभभोगियों के सभी वर्गों जैसे सामान्य, एससी, एसटी तथा अन्य द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए निधियों की आवश्यकता को उक्त वर्गों के अंतर्गत बजट आबंटन के अनुपात में विभाजित किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। संस्वीकृति आदेशों के अनुसार व्यय पूँजीगत प्रकृति का है तथा इसलिए इसे वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' में दर्ज किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
15.	58 - सूक्ष्म, लघु, तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	4.98	2851/32	अंतर्राष्ट्रीय सहकारी योजना पर किये गये ₹4.98 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूँकि व्यय, संगठनों, पंजीकृत समितियों आदि को सामान्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों के रूप में देने पर किया गया था, इसलिए इस राशि को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि प्रशासनिक प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से व्यय दर्ज करने के लिए नया वस्तु शीर्ष '31 सहायता अनुदान सामान्य' खोल लिया है।
16.	66-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	100.00	2802/31	राजीव गांधी पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को पूँजीगत व्यय हेतु जारी किए गए ₹100.00 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही रूप से व्यय का वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि वस्तु शीर्ष के अंदर जान बूझकर कोई गलत वर्गीकरण नहीं किया गया था तथा विधिवत रूप से आवश्यक शोधक कार्रवाई कर ली गई है। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि वस्तु शीर्ष को 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में परिभाषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
17.	68- विद्युत मंत्रालय	15.00	2801/31	शिवपुरी मध्यप्रदेश तथा अलाप्पुजहा, केरल में नए विघुत प्रशिक्षण संस्थानों (एनपीटीआई) की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय विघुत प्रशिक्षण संस्थान को जारी ₹15.00 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरण करने के बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि एनपीटीआई के संबंध में अनुदान के एक ही भाग में वस्तु शीर्ष के गलत वर्गीकरण को 2017-18 के लिए अनुदानों के विस्तृत मांगो में सही कर लिया गया है।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
18.	74- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	7.64	3054/50	"दिल्ली में सिमुलेशन विश्लेषण का उपयोग करके यातायात प्रदर्शन का अनुकूलन" मूल्यांकन तथा राजमार्गों के कार्य के लिए भारतीय राजमार्ग इंजिनियरिग अकादमी को जारी ₹ 6.98 करोड़ तथा मैसर्स दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को सभी तीनों सौर विद्युतीय टोल प्लाजाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी हेतु 70 प्रतिशत के भुगतान के प्रति किए गए ₹0.66 करोड़ के भुगतान को मिलाकर ₹7.64 करोड़ की राशि को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) की चूँकि कथित विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत '28-व्यावसायिक सेवा' हेतु कोई वस्तु शीर्ष नहीं था, इसलिए भुगतान को '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत किया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2018-19 तथा इसके बाद लिए एक नया वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' खोलने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
19.	84- अंतरिक्ष विभाग	0.50	5402/60	पॉवर ऐज सर्वर के अधिप्रापण हेतु किए गए ₹ 50.33 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसटीआरए सी द्वारा पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज करने की बजाय गलत रूप से वस्तु '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
20.		0.22	5402/60	एनईएमओ, एएम ग्राउंड स्टेशन उपकरण की आपूर्ति, प्रतिष्ठान, जांच तथा चालू करने के प्रति किए गए ₹22.47 लाख के व्यय को पीएओ आईएसटीआरएए सी द्वारा पूंजीगत भाग में '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
21.	84- अंतरिक्ष विभाग	2.02	5402/60	256 चैनल वाइब्रेशन डाटा एक्यूजिशन सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किया गया ₹2.02 करोड़ के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूंजीगत भाग में '52-मशीनरी व उपकरण' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
22.		0.31	5402/60	पोर्टेबल एक्स-रे निरीक्षण सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹31.05 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूँजीगत भाग में गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' में दर्ज किया गया था जिसे सही रूप से '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज किया जाना चाहिए।	
23.		0.37	5402/52	इलैक्ट्रानिक अर्थात् ईपीजीए विकास किट (अंतरिक्ष उपभोज्य) के अधिप्रापण के प्रति किया गया ₹36.80 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूँजीगत भाग में गलत रूप से वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज किया गया था जिसे सही रूप से '60-अन्य पूंजीगत व्यय' में दर्ज किया जाना चाहिए।	
24.		0.76	5402/60	फ्लाईंग प्रोब टेस्ट सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹75.91 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूँजीगत भाग में गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' में दर्ज किया गया था जिसे सही रूप से '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज किया जाना चाहिए।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
25.	84- अंतरिक्ष विभाग	0.39	5402/53	ऑनलाइन पैरेलैल रीडुडेंट यूपीएस की आपूर्ति, प्रतिष्ठान, जांच तथा चालू करने के प्रति किए गए ₹39.20 लाख के व्यय को पीएओ.आईएसटी.आरएसी द्वारा गलत रूप से वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माणकार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही रूप में पूँजीगत भाग में '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)
26.		1.00	3402/50	एसीपी परियोजनाओं को सरलता से जारी रखने के लिए वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत एनएआरएल को पीएओ, आईएसआरओ, मुख्या. द्वारा ₹1.00 करोड़ जारी की गई राशि को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में दर्ज किया गया था।	
27.		0.20	3402/50	डीडब्ल्यूआर सिस्टम के अनुरक्षण के प्रति किए गए ₹20 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंर्तगत दर्ज किया गया था।	
28.		0.10	3402/21	आरएफ उपकरण के कैलिब्रेशन के प्रति किये गए ₹10.34 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से '21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
29.		0.11	3402/20	आइएसएसी गेस्ट की केयरटेकिंग/अनुरक्षण (मानवशक्ति संविदा) के प्रति किए गए ₹11.10 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय वस्तु शीर्ष '20 अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
30.	84- अंतरिक्ष विभाग	16.31	8009/50	16.31 करोड़ की राशि का पीएओआईएसएसी (सी) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए भविष्य निधि के अंतिम निपटान के भुगतान के प्रति व्यय किया गया था तथा वस्तु शीर्ष 04-पेंशन, उपदान की बजाय '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज की गई थी।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
31.		0.12	3402/30	ठेके पर रखे गए ड्राइवरो को भुगतान के प्रति किए ₹11.82 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' की बजाय गलत रूप से '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
32.		0.15	3402/50	ईओएएम कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष एप्लीकेशन केन्द्र शिलांग को जारी किए गए ₹15 लाख के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
33.		0.58	3402/50	गोपनीय दस्तावेजों/प्रश्नपत्रों के मुद्रण, छंटाई तथा पैंकिग के भुगतान के प्रति किए गए ₹58.35 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '16-प्रकाशन' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के रूप में दर्ज किया गया था।	
34.		0.14	3402/50	आईसीआरबी भर्ती हेतु गोपनीय दस्तावेजों को ढोने के प्रति किए गए ₹13.56 लाख के.व्यय को वस्तु शीर्ष '16-प्रकाशन' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
35.		1.70	3402/50	एएएनएफएस घोल के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति किए गए ₹169.74 लाख के.व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था लेकिन गलत रूप से उसको '50 अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
36.	84- अंतरिक्ष विभाग	0.35	3402/50	डीडब्ल्यू आर के प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रति किए गए ₹35.00 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
37.		0.16	3402/50	नेटऐप स्टोरेज सफ्ल्यूशन सोलुशन हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति किये गये ₹16.12 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
38.		0.17	3402/50	नेटवर्क सुरक्षा पद्धति हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति ₹16.77 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
39.		1.01	3402/50	व्यावसायिक सेवाएं (जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर, जनरल ड्यूटी डॉक्टर, नर्सें, फार्मासिस्ट, क्लिनिक्ल लैबोरटरी तकनीशियन, तथा फिजियोथैपिस्ट) प्रदान करने के प्रति ₹101.11 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से '30- अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
40.		0.24	3402/21	किराए के आधार पर फोटोकॉपियर के किराए के प्रति ₹23.98 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से '21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां' में दर्ज किया गया था।	
41.		0.53	3402/50	लिक्विड नाइट्रोजन की आपूर्ति के भुगतान के प्रति ₹52.90 लाख के.व्यय को वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
42.	84- अंतरिक्ष विभाग	1.70	3402/50	एशिया तथा पेसिफिक में अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र को जारी ₹1.70 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
43.		17.37	3402/30	डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक तथा रीप्रोग्राफिक सहायक को कार्य पर लगाने के प्रति ₹17.37 करोड़ के.व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय उसको गलत रूप से '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
44.	86-इस्पात मंत्रालय	8.53	2852/31	लोहा व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के प्रोत्साहन हेतु योजना के अंतर्गत अवसरंचना, मशीनों तथा उपकरण पर की गई ₹8.53 करोड़ राशि के.व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। व्यय को वस्तु शीर्ष '35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि मंत्रालय ने अभ्युक्ति को नोट कर लिया है तथा 'लोहा व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देने' की योजना के अंतर्गत एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' आरंभ कर दिया है।
45.	87- कपड़ा मंत्रालय	2.07	2852/31	भारतीय पटसन उघोग अनुसंधान एसोसिएशन (आईजेआईआरए), कोलकाता, एक अनुदानग्राही संस्थान को जारी किए गए ₹2.07 करोड़ के सहायता अनुदानों का वेतन तथा मजदूरी के लिए उपयोग किया गया था। राशि को वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि संबंधित प्रभाग को वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य पर वेतन के सबंध में व्यय दर्ज न करने का परामर्श दिया जा रहा था। कार्यक्रम प्रभाग से प्राप्त अनुरोध पर प्राप्ति पक्ष में वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान वेतन खोला जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्तूबर 2017) कि 2017-18 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में वेतन और मजदूरी जारी कराने के लिए आईजेआईआरए के लिए एक नया बजट उद्देश्य खोलने के लिए बी और ए डिवीजन को पहले ही अनुरोध किया गया था।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
46.	95- शहरी विकास मंत्रालय	6.60	2059/50	समाधि स्थल परिसर में सुरक्षा बलों (सीआईएसएफ) की तैनाती पर किए गए ₹6.60 करोड़ के.व्यय को सही रूप से वस्तु शीर्ष '28- व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि अगले वित्तीय वर्ष से उपयुक्त बजटीय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किया जाएगा।
	कुल	**549.49**			

4.5.3 गलत लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' दर्ज करना

विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) को राज्य सरकारों से जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा राज्य जनजातीय उप योजना में जोड़ने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यद्यपि 'जनजातीय क्षेत्र उपयोजना' के लिए आबंटित निधियों को विशेष लघुशीर्ष अर्थात् '796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है, एक अलग लघु शीर्ष कोड अर्थात् 794 को मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची को सामान्य दिशानिर्देशों में जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने के उद्देश्य के लिए चिन्हित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹1,250 करोड़ के कुल प्रावधान में से, वर्ष 2016-17 में 'जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा ₹1,195.03 करोड़ जारी किया गया था और इसे जनजातीय मामला मंत्रालय से संबंधित **अनुदान सं.-89** में लघुशीर्ष '796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसका मौजूदा निर्देशों में निर्धारित रूप से प्रावधान किया जाना था और लघुशीर्ष '794-जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' में दर्ज किया जाना था।

मामले को वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी प्रतिवेदन सं.1, 2014-15 के लिए प्रतिवेदन सं 50 और 2015-16 के लिए प्रतिवेदन सं. 34 में भी इंगित किया गया था।

2015-16 की रिपोर्ट संख्या 34 के जवाब में, मंत्रालय ने आश्वासन दिया (जुलाई 2016) कि क्षेत्रीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2017-18 के लिए डीडीजी में लघुशीर्ष '794' खोला जाएगा।

हालांकि, वर्ष 2017 हेतु डीडीजी की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य शीर्षों- 2225, 2552 और 794 की बजाय लघु शीर्ष '796' में 3601 के अंतर्गत 'जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' के लिए प्रावधान के रूप में ₹1,350.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि मामले को नए लघु शीर्ष 794 को खोलने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ताकि जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत व्यय को 794 के अलग लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है जैसाकि मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची में सामान्य निर्देशों में निहित है।

4.6 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

(ए) सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमश: अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आबंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) हेतु अलग आबंटन किया गया था। समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', 'अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित पृथक रूप से प्रावधान प्राप्त किया जाता है। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, एससीएसपी तथा टीएसपी के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है, ताकि विपथन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

जीएफआर-2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/

परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तात्कालिक उपायों मापदण्डों का प्रावधान किया जाना हो, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2016-17 हेतु समेकित सार/ई-लेखा डाटा के साथ विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से **तालिका 4.11** में नीचे दिए विवरण के अनुसार चार अनुदानों, एकमुश्त अनुपूरक के अप्राधिकृत संवितरण के मामले सामने आए।

तालिका 4.11: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का अप्राधिकृत संवितरण

(₹ करोड़ में)

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
25- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
3601.02.264.01.01.31 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम	1882.80	391.30	2274.10	1713.50	3443.59
3601.02.789.20.01.31 -वही-	744.79	32.17	776.96		1150.95
3601.02.796.20.01.31 -वही-	290.38	51.52	341.90		511.89
3601.02.264.01.02.31 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम डीडीपी क्षेत्र	322.99	0.00	322.99		390.99
3601.02.789.20.02.31 -वही-	104.49	0.00	104.49		126.49
3601.02.796.20.02.31 -वही-	47.49	0.00	47.49		57.49
			कुल	**1713.50**	**5681.40**
3601.02.269.03.01.31 स्वस्छ भारत अभियान (ग्रामीण) राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से राशि ली गई	4644.99	869.99	5514.98	1869.00	6908.98
3601.02.789.19.04.31 -वही-	1877.99	0.00	1873.99		2309.99
3601.02.796.19.04.31 -वही-	853.99	0.00	853.99		1049.99
			कुल	**1869.00**	**10268.96**

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि मुख्य शीर्ष 3601 के तहत एससीएसपी और टीएसपी घटकों के लिए अलग से प्रावधान वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त अनुपूरक के लिए भेजी गयी मांग का उल्लेख अनजाने में असावधानी के कारण नहीं किया जा सकता। हालांकि, भविष्य में सख्त अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।					
52-उच्च शिक्षा विभाग					
2203.00.112.05.09.35 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता	1398.87	131.75	1530.62	400.00	1786.37
2203.00.789.08.01.35 -वही-	270.75	25.50	296.25		345.75
2203.00.796.08.01.35 -वही-	135.38	12.75	148.13		172.88
कुल			**1975.00**	**400.00**	**2305.00**
2203.00.112.80.01.36 भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	274.35	-	274.35	14.00	282.10
2203.00.789.71.01.36 -वही-	12.00	-	12.00		13.50
2203.00.796.71.01.36 -वही-	6.00	-	6.00		6.75
		कुल	**292.35**	**14.00**	**302.35**
2203.00.112.81.01.36 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता	31.70	-	31.70	6.00	36.35
2203.00.789.14.01.36 -वही-	1.80	-	1.80		1.87
2203.00.796.72.01.36 -वही-	0.90	-	0.90		0.91
		कुल	**34.40**	**6.00**	**39.13**
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगो के प्रारूप में केवल मुख्य शीर्षों के लिए ब्यौरा शामिल है और यह वस्तु शीर्ष-वार प्राप्त किया जाता है। लघुशीर्षों जैसे एससीएसपी(789) और टीएसपी(796) से संबंधित अनुपूरक मांगो के लिए अनुदानों के ब्यौरे में कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अन्य मंत्रालयों/विभागों ने 2016-17 के दौरान संसद से घटक-वार अनुपूरक अनुदान के लिए विशेष अनुमोदन प्राप्त किया था।					
81-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय					
2230.03.102.15.05.31 प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण-सहायता अनुदान सामान्य	30.93	0.00	30.93	240.00	300.32
2230.03.789.08.04.31 -वही-	6.06	0.00	6.06		44.34

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
2230.03.796.09.04.31 -वही-	3.27	0.00	3.27		9.88
			कुल	**240.00**	**354.54**
2230.03.102.15.05.35 प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	16.00	0.00	16.00	30.00	30.61
2230.03.796.09.04.35 -वही-	13.05	0.00	13.05		17.66
			कुल	**30.00**	**48.27**

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि ₹270.00 करोड़ का एकमुश्त अनुपूरक संसद के पूर्व अनुमोदन के साथ प्राप्त किया गया था और उसे विभिन्न संघटकों के अंतर्गत संवितरित किया गया था। अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग का प्रस्ताव विशेष रूप से वस्तु शीर्ष का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग की अधिसूचना के अनुसार, अनुपूरक अनुदान को केवल सामान्य संघटक के अंतर्गत प्राप्त किया गया था और कोई संघटक-वार ब्यौरा नहीं दर्शाया गया था।

* बीई= बजट अनुमान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान, एसए=अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकृति/अनुमोदन, टीए= कुल प्राधिकरण

(बी) नई सेवा (एनएस)/सेवा के नए उपकरण (एनआईएस) से संबंधित मामलों को पहचान करने में वित्तीय सीमाओं से संबंधित मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी को या प्राधिकारी को 'सहायता अनुदान' (वस्तु शीर्ष-31, 35 और 36) से संबंधित वस्तुशीर्षों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में संवर्धन केवल संसद के पूर्व अनुमोदन के साथ ही हो सकता है।

विनियोग लेखाओं, समेकित सार और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुपूरक अधिसूचना की संवीक्षा से पता चला कि दो अनुदानों के संबंध में एकमुश्त अनुपूरक अनुदान संसद से प्राप्त किए गए थे और संसद के वस्तु शीर्ष-वार विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न वस्तुशीर्षों में अनियमित रूप से संवितरित किया गया था जो विवरण **तालिका 4.12** में नीचे दिए गए है :

तालिका 4.12: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का अप्राधिकृत संवितरण

(₹करोड़ में)

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
18-कोरपोरेट मामला मंत्रालय					
3475.00.105.11.00.31 इनसॉलवेंसी एवं बैंकरपटसी बोर्ड ऑफ इंडिया सहायता अनुदान-सामान्य	0.00	0.00	0.00	10.00	3.08
3475.00.105.11.00.35 इनसॉलवेंसी एवं बैंकरपटसी बोर्ड ऑफ इंडिया- पुंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00		2.08
3475.00.105.11.00.36 इनसॉलवेंसी एवं बैंकरपटसी बोर्ड ऑफ इंडिया-सहायता अनुदान-वेतन	0.00	0.00	0.00		2.75
		कुल	**0.00**	**10.00**	**7.91**

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगो के प्रथम बैच में ₹40.00 करोड़ का रोकड़ अनुपूरक की मांग की गई थी। मांग में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि

- प्रस्तावित व्यय श्रेणी नई सेवा/सेवा के नए उपकरण के अंतर्गत आती है;
- आबंटन को रोकड़ अनुपूरक के रूप में मांगा जाता है; और
- व्यय को सहायता अनुदान सामान्य, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों और सहायता अनुदान-वेतन में विभाजित किया जाएगा।

2016-17 के अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के प्रथम बैच के अंतर्गत ₹10 करोड़ का आबंटन न तो टोकन अनुपूरक का मामला है और न ही टोकन अनुपूरक के अनुदान पर पुनर्विनियोजन आकस्मिक है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जीएफआर-2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 के अनुसार, राशि को विशेष ब्यौरा सहित का उल्लेख अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग में नहीं किया गया था।

24-विकास एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्रालय					
3601.05.101.02.00.31 उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं-विशेष विकास परियोजनाएं-सहायता अनुदान सामान्य	21.50	0.00	21.50		35.78
3601.05.101.02.00.35 उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं-विशेष विकास परियोजनाएं-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	277.50	0.00	277.50	68.49	497.34

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि ऐसी लापरवाही की गलतियों से बचने के लिए उचित ध्यान रखा जाएगा।					

** बीई= बजट अनुमान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान, एसए=अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकृति/अनुमोदन, टीए= कुल प्राधिकरण*

4.7 सूचना प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय को दर्ज करने के लिए विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का संचालन न किया जाना

वर्गीकरण के शीर्षों के समान मानकीकरण और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय की मॉनीटरिंग करना सुगम बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने मानक कोड अर्थात् '99' के साथ अनुदानों के लिए विस्तृत मांगो में वर्गीकरण के पांचवे स्तर पर 'विस्तृत शीर्ष' स्तर पर 'सूचना प्रौद्योगिकी' को स्थापित करने का निर्णय[2] लिया ताकि हार्डवेयर, सोफ्टवेयर के अभिग्रहण, रखरखाव, सॉफ्टवेयर का विकास और प्रशिक्षण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय का समेकन करने के उद्देश्य को पूरा करें।

वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखाओं, समेकित सार/ई-लेखा डाटा और अन्य अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्रय पर ₹10.08 करोड़ की राशि का व्यय हुआ था परंतु उचित विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का उपयोग कथित व्यय को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था जैसा कि मौजूदा आदेशों के अंतर्गत आवश्यक था जैसा **तालिका 4.13** में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.13: विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का संचालन न किया जाना

अनुदान सं. एवं मंत्रालय का नाम/विभाग	राशि (₹करोड़ में)	लेखा शीर्ष	अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
27-पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2.99	3435.03.102.05.02.11 3435.03.102.05.02.13 3435.03.102.05.02.28	मंत्रालय ने कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रति ₹2.99 करोड़ की राशि आवंटित की थी और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विस्तृत शीर्ष '99' का संचालन किए बिना ₹2.99 करोड़ का व्यय किया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उपयुक्त शीर्ष का सृजन करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है।
61-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0.52	3451.00.090.14.00.13	मंत्रालय ने 'सूचना प्रौद्योगिकी से सबंधित प्रापण के प्रति ₹52.44	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि 'सूचना प्रौद्योगिकी'

[2] ओएम सं. 15(4)/बी(डी)/2003 दिनांक 9 जुलाई 2003

मंत्रालय			लाख का व्यय किया था और इसे '99-सूचना प्रौद्योगिकी' की बजाय विस्तृत शीर्ष '00' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	शीर्ष के अंतर्गत किसी निधि को आवंटित नहीं किया गया था। उन्होने यह भी बताया कि भविष्य में पुनरावृति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के सभी संबंधित प्रभागीय अध्यक्षों को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भिजवा दिया गया था।
79-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	0.11	3451.00.090.23.02.13	विभाग ने विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' की बजाय विस्तृत शीर्ष '02' के अंतर्गत ₹11.23 लाख का आईटी संबंधित व्यय किया था।	तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि शीर्षों के युक्तिसंगत/ विलय करते समय आईटी विस्तृत शीर्ष अनजाने से छूट गया था और वित्त वर्ष 2018-19 से अलग शीर्ष खोला जाएगा।
84-अंतरिक्ष विभाग	6.46	5402.00.101.08.00.52	विभाग ने कम्प्यूटर/ सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के क्रय पर ₹6.46 करोड़ का व्यय किया था और इसे '99-सूचना प्रौद्योगिकी' की बजाय विस्तृत शीर्ष '00' के अंतर्गत पीएओ आईएसएसी (केन्द्र) द्वारा दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
कुल	**10.08**			

4.8 जल उपकर का गलत उपयोग

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली[3] ने इस शर्त के साथ कि मंडलों/समितियों की स्थापना और कार्यालय व्यय प्राप्त राशि 25 प्रतिशत से अधिक न हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों को एकत्रित उपकर राशि के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान किया था। दिसम्बर 2010 में 25 प्रतिशत की सीमाओ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत इस शर्त के साथ कर दिया था कि वर्धित 25 प्रतिशत को (i) उसकी वृद्धि सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी श्रमशक्ति से संबंधित स्थापना लागत (ii) ऑनलाइन अनुज्ञा प्रबंधन सहित राज्य बोर्डों/समिति में ई-गवर्नेंस और आईटी आवेदनों को चिन्हित करना होगा। इसमें शामिल विभिन्न अभिकरणों द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि मॉनीटरिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए जल उपकर निधि आवश्यक है।

वर्ष 2016-17 के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं, 27 के पुनर्विनियोग आदेशों के साथ विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि मौजूदा आदेशों के उल्लंघन में जल उपकर निधि से ₹96.50 करोड़

[3] दिनांक दिसम्बर 28, 1998 का आदेश सं.क्यू-17011/1/88-सीपीडब्ल्यू

के कुल पुनर्विनियोगों में से निम्नलिखित लेखाशीर्षों को विस्तृत शीर्ष 3435.03.102.05.05.30-परिस्थितिकी और पर्यावरण- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं मॉनीटरिंग- जल प्रदूषण (उपकर) का नियंत्रण- अन्य संविदात्मक सेवाओं द्वारा ₹18.80 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोग किया गया जैसा नीचे **तालिका 4.14** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका: 4.14 जल उपकर का गलत उपयोग

क्र.सं.	इनसे पुनर्विनियोजित किया गया	इनको पुनर्विनियोजित किया गया	राशि (₹करोड़ में)	उद्देश्य
1.	3435.03.102.05.05.30 - जल प्रदूषण (उपकर) का निवारण एवं नियंत्रण अन्य संविदात्मक सेवाएं	2406.01.005.06.01.01	1.61	एफएसआई (वेतन)
2.		3435.03.103.14.01.01	2.80	बीएसआई (वेतन)
3.		3435.03.103.14.02.01	7.00	जेडएसआई (वेतन)
4.		2406.01.005.06.02.01	0.40	एन जेड पार्क (वेतन)
5.		3451.00.090.29.00.01	4.79	सचिवालय (वेतन)
6.		3451.00.090.29.00.30	1.20	सचिवालय (ओसीएस)
7.		3451.00.090.29.00.27	1.00	सचिवालय (लघु कार्य)
कुल			**18.80**	

₹18.80 करोड़ तक की उपकर निधि जिसे प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित नामित गतिविधियों के प्रति उपयोग में लाया जाना आवश्यक था, उसे मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाले संस्थानों एवं सचिवालय से संबंधित वेतन भुगतानों, लघु कार्यों एवं संविदात्मक सेवाओं के लिए पुनर्विनियोजित किया गया था। ₹18.80 करोड़ की उपकर निधि का पुनर्विनियोजन वेतन भुगतान, लघु कार्यों और मंत्रालय के नियंत्रण में अन्य संस्थानों से संबंधित अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए जल उपकर निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधि के अधिक विनियोग से बचने के लिए उसे कार्यात्मक लेखा शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था ताकि अनुदान के अंतर्गत समग्र बचत कम रहे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि इसी अभ्यास को 2015-16 के दौरान भी अपनाया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि घटक इकाइयों और सचिवालय स्टाफ के वेतन जैसे उदेश्यों तथा संविदात्मक सेवाओं हेतु उपकर निधि का उपयोग करना जल उपकर को प्रभारित करने के उद्देश्य का उल्लंघन था।

4.9 प्रासंगिक उप-शीर्ष का संचालन न किए जाने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक स्थापनाओं में विभागीय कैंटीनों पर प्रशासनिक निर्देशों, 2008 की धारा 3.6 के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अधिसूचना दी कि विभागीय कैंटीनों के रखरखाव के लिए अलग लेखाशीर्ष खोला जाएगा। लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत अलग उप-शीर्ष 'विभाग कैंटीन' के अंतर्गत डीएफपीआर के अंतर्गत प्रदत्त रूप में, विभागीय कैंटीन को चलाने और रखरखाव के लिए किए गए व्यय को उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदान सं. 84 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विभागीय कैंटीन के रखरखाव पर किए गए ₹4.91 करोड़ के व्यय का विभाग ने गलत वर्गीकरण किया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.15** में दिया गया है:-

तालिका: 4.15 प्रासंगिक उप-शीर्ष का संचालन न किए जाने के कारण गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पीएओ	व्यय (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1	3402	101	64	ईसरो मुख्यालय	1.04	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य' के अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3402.00.101.64' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2	3451	090	18	ईसरो मुख्यालय	0.11	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800'-अन्य' अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3451.00.090.18' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
3	3402	101	10	आईएसएसी केन्द्र	3.69	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800'-अन्य' के अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3402.00.101.10' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
4	3402	101	26	आईएसटीआरएसी	0.07	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800'-अन्य' के अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3402.00.101.26' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
कुल					**4.91**	

2015-16 के दौरान उठाए गए एक समान अभ्युक्ति के लिए, विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि वस्तु शीर्ष-20 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के व्यय को डीएफपीआर के नियम 8 के अंतर्गत भारत सरकार के नियम (1) के अनुसार दर्ज किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के आदेशों (1) के अंतर्गत वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कैंटीन आतिथ्य पर किए गए व्यय को वस्तु शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत दर्ज करने की आवश्यकता थी। हालांकि, अंतरिक्ष विभाग द्वारा कैंटीन के कर्मचारियों को 'वेतन एवं भत्तों' के भुगतान पर व्यय को भी लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' की बजाय वस्तु शीर्ष "20-अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

4.10 वेतन व्यय का गलत वर्गीकरण

रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ के स्थायी कर्मचारियों के वेतनों पर 2016-17 के दौरान ₹1,077.30 करोड़ के व्यय को उचित वेतन शीर्ष के बजाय इसके कुछ भाग को मुख्य शीर्ष 3054-राजस्व निर्माण कार्य व्यय और इसके कुछ भाग को मुख्य शीर्ष 5054-पूंजीगत निर्माण कार्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि व्यय को भविष्य में वेतन शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2052) के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट प्रावधान की उपलब्धता न होने के कारण वेतनों पर ₹169.54 करोड़ के व्यय को उचंत शीर्ष (कोड शीर्ष-020/74- जीआरईएफ नागरिक के वेतन एवं भत्ते) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

मौजूदा नियमों के अनुसार, उचंत शीर्ष को संचालित केवल लेन-देन के लेखांकन के लिए किया जा सकता है जोकि कुछ सूचना और दस्तावेजों की आवश्यकता हेतु व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है।

4.11 रक्षा पेंशन पर व्यय को कम बताया जाना

वित्त लेखा के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक पीएसबी- उचंत शीर्ष में ₹11,184.55 करोड़ पड़े हुए थे। यह रक्षा पेंशन पर बैंकों द्वारा संवितरित पेंशन की राशि दर्शाता था परंतु इसे अंतिम लेखाशीर्ष में नहीं लिया गया था। तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय ने वि.व. 2016-17 लेखे (सितम्बर 2017) के बंद होने के अंतिम स्तर पर पेंशन भुगतान पर ₹2,200 करोड़ का व्यय दर्ज किया था। इसलिए वित्त 2016-17 में ₹8,984.55 करोड़ के पेंशन भुगतानों को दर्ज करना शेष था। आगे, ₹2,200 करोड़

के व्यय को बजटीय प्रावधान के बिना दर्ज किया गया जिसका परिणाम रक्षा पेंशन से संबंधित राजस्व भाग की अनुदान सं. 21 के अंतर्गत ₹2,199.55 करोड़ के आधिक्य में हुआ था।

सीजीडीए ने बताया (अक्तूबर 2017) कि बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों[4] पर बैंको से प्राप्त लंबित पेंशन स्क्रॉलों का निपटान करने के लिए ₹2200 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बजट प्रावधान बढ़ाए बिना व्यय किया गया था। इसको और अधिक वास्तविक बनाने के लिए प्रारंभिक बजट अनुमान की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।

4.12 लघु शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची के अनुसार 'संलग्न कार्यालयों' से संबंधित लघु शीर्ष-091 का मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत संलग्न कार्यालय के व्यय के प्रावधान तथा दर्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त , एलएमएमएच के अनुसार, लघु शीर्ष '091' में भारत सरकार के संलग्न कार्यालयों, राज्य सरकार के अन्य कार्यालय जो किसी विशेष कार्य से अभिज्ञेय नहीं होते हैं, के व्यय दर्ज किए जाऐंगे।

वर्ष 2016-17 के लिए दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदान सं. 14 के डीडीजी तथा विनियोग लेखे की जांच से प्रकट हुआ कि विभाग ने 'सामान्य प्रशासन' नामावली वाले लघु शीर्ष '091' को संचालित किया था तथा इसका 'दूरभाष निदेशालय', 'लेखापरीक्षा प्रभारों के हिस्से के प्रति एमएच 3201 डाक सेवाओं को अंतरित राशि', 'स्टाफ को देय सुविधाएं, अनुरक्षण', 'स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग', 'टर्म सैल', 'संचार लेखा नियंत्रक' तथा 'केन्द्रीय मॉनीटरिंग, संचालन तथा अनुरक्षण प्रणाली' से संबंधित ₹362.91 करोड़ राशि का व्यय दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया था। इसका परिणाम लघु शीर्ष के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण में हुआ।

विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि सीजीए कार्यालय के परामर्श से विद्यमान लेखा शीर्षों को पुनः तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन था।

[4] ओएम सं. 2(10)-बी-(एसी)/2017 दिनांक 5 सितंबर 2017

रक्षा अनुदान

4.13 पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में निधियों का अप्राधिकृत अंतरण

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट मैनुअल 2010 के पैरा 3.2 बताता है कि ऐसे तीन अवसर है जहां तकनीकी अनुपूरक की मांग की जा सकती है अर्थात (क) चार भाग अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) और पूंजीगत (दत्तमत) में से एक से अभ्यर्पण और उसे मांग के अन्य भाग में उपयुक्त करना, (ख) एक मांग से दूसरी मांग में योजना का अंतरण जिसने योजना का अंतरण किया है जिसका परिणाम मांग से राशि के अभ्यर्पण में हुआ और उसका उपयोग अन्य मांग जहां योजना का अंतरण हुआ है उसमें किया गया है, और (ग) छूट/बट्टे खाते में डालना।

अनुदानों के युक्तिकरण के पश्चात, रक्षा मंत्रालय की अनुदान हेतु दो मांग है, एक राजस्व भाग में और एक पूंजीगत भाग में। वर्ष 2016-17 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अनुदानों की राजस्व मांग में कुल मिलाकर ₹6,551.91 करोड़ तक की कुल राशि द्वीतीय बैच (दिसम्बर 2016) और अंतिम बैच (मार्च 2017) के माध्यम से संसद से अनुदान हेतु गलत तकनीकी अनुपूरक मांग प्राप्त की गई थी। अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में उपलब्ध बचतों में से तकनीकी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

इस प्रकार, मांग सं. 23 (पूंजीगत अनुदान) से मांग सं. 22 (राजस्व अनुदान) में तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से कुल मिलाकर ₹6,551.91 करोड़ के कुल निधियों का अंतरण बजट मैनुअल के पैरा 3.2 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से पता चला कि तकनीकी अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से ₹6,551.91 करोड़ के कुल अनुपूरक में से ₹2,853.47 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल ₹3,698.44 करोड़ का उपयोग किया गया था।

तकनीकी अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने तथा एक मांग से दूसरे में निधियां अंतरण करने की इस गलत प्रथा के संबंध में सीएजी लेखापरीक्षा के 2015 के प्रतिवेदन सं. 1, 2015 की सं. 50 तथा 2016 की सं. 34 में इंगित किया गया था। तथापि, इस गलत प्रथा को सही करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई की गई दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि बजट मैनुअल के रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, पूंजी अनुदान से राजस्व अनुदान में तकनीकी अनुपूरक निधियों के अंतरण के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था, विचाराधीन तकनीकी अनुपूरक को अनियमित नहीं समझा जा सकता।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय पूंजीगत अनुदानों हेतु संस्वीकृत प्रावधान का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहा था तथा तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान (अनुदानों) में बचत का अंतरण कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप बजट मैनुअल के उपबंधों का उल्लंघन हुआ।

4.14 वर्ष 2016-17 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के चयनित वाऊचरों की जाँच

4.14.1 प्रस्तावना

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (मंत्रालय) के संबंध में किए गए भुगतानों की परिशुद्धता तथा व्यय के आबंटन की जांच करने के उद्देश्य से 2016-17 की अवधि से संबंधित प्रदत्त वाऊचरों की लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे प्रदर्शित किया गया है।

4.14.2 गैर योजनागत व्यय हेतु योजना निधि का विपथन

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (डीएफपीआर) के अनुसार राजस्व और पूँजीगत दोनो भागों में योजनागत से योजनेत्तर शीर्षों में प्रावधानों के पुनर्विनियोग हेतु वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

आगे, सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 (जीएफआर) के नियम 26 के अनुसार यह उस नियंत्रण अधिकारी, जिसके अधिकार में निधियां रखी जाती हैं, की ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करने का है कि व्यय उस उद्देश्य के लिए किया गया है कि जिसके लिए निधियां दी गई हैं।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में 2016-17 की अवधि से संबंधित प्रदत्त वाउचरों की लेखापरीक्षा से पता चला कि वर्ष 2016-17 के दौरान मंत्रालय ने उपशीर्ष-3451.00.090.54 (सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-सचिवालय-पेय जल तथा स्वच्छता) के अंतर्गत विभिन्न वस्तु शीर्षों जैसे '01-वेतन', '03-समयोपरि भत्ता', '06-चिकित्सा उपचार', '11-घरेलू यात्रा खर्च', '12-विदेशी यात्रा खर्च', '02-मजदूरी' तथा '13-कार्यालयी खर्च' के अंतर्गत योजनेत्तर व्यय करने के लिए ₹9.70 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया था।

इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष जैसे '11-घरेलू यात्रा खर्च', '12-विदेशी यात्रा खर्च', '13-कार्यालय खर्च', '20-अन्य प्रशासनिक खर्च', '50-अन्य प्रभार' आदि पर योजनागत व्यय करने के लिए मंत्रालय ने उपशीर्ष 2215.01.102.19 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम) ₹ 81.50 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया था।

तथापि, वर्ष 2016-17 के लिए वाऊचरों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि मंत्रालय ने, कोई पुनर्विनियोजन किए बिना तथा वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹1.79 करोड़ (**अनुबंध-4.2**) राशि का योजनेत्तर व्यय करने के लिए योजनागत निधियाँ का उपयोग किया था।

4.15 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में, विनियोग लेखे में, संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन और वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन न करने से संबंधित कमियां पाई गई हैं जिससे संकलित लेखाओं की विशुद्धता पर प्रभाव पड़ा। करों की वापसी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए संसद से बजटीय प्रावधान प्राप्त न करना नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित अनुदेशों का पालन न करना और गलत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण होना तथा जिसका प्रभाव राजस्व घाटे पर पड़ना आदि कुछ क्षेत्र हैं जिनकी ओर मुख्य लेखा प्राधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है।